मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल–462011
Email – mpsec@mp.gov.in
Ph.No. - 0755-2555527

******

क्रमांक–एफ–53NN–03/2026/पांच/1520 भोपाल, दिनाँक– 31/08/2026

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला–समस्त।
(म0प्र0)।

विषयः–**नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष–2026 (पूर्वार्द्ध) हेतु निर्वाचन कार्यक्रम।**

संदर्भ–1. आयोग के पत्र क्रमांक एफ–52NN–01/2026/पॉच/387–389 दिनांक–23.04.2026.
2. आयोग के पत्र क्रमांक एफ–52NN–01/2026/पॉच/653–654 दिनांक–04.06.2026.
3. आयोग के पत्र क्रमांक एफ–52NN–01/2026/पॉच/896–897 दिनांक–15.06.2026.

******

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आयोग के संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में जिलों द्वारा नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची दिनांक 01 जनवरी 2026 की संदर्भ तिथि के आधार पर तैयार कर उसका अंतिम प्रकाशन दिनांक–27 जुलाई 2026 को किया जा चुका है।

2. आपके जिले की नगरीय निकायों में **दिनांक–31 जुलाई 2026** की स्थिति में आकस्मिक रूप से रिक्त स्थानों (सीटों) की पूर्ति के लिये उप निर्वाचन वर्ष–2026 **(पूर्वार्द्ध)** सम्पन्न कराने के लिये आयोग द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 सहपठित मध्य प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 21 के अनुसार आयोग, **नगरीय निकायों अर्थात् नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर परिषदों में परिशिष्ट–एक में अंकित नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष–2026 (पूर्वार्द्ध) हेतु**, संलग्न **परिशिष्ट–दो** के अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम विहित करता है तथा निर्देशित करता है कि इस कार्यक्रम के अनुसार नियम 21 के अन्तर्गत निर्धारित प्ररूप–2 में सूचना जारी की जाए। प्ररूप–2 के साथ संलग्न कार्यक्रम के कॉलम (खाना)–5 में यह उल्लेख किया जाए कि नाम निर्देशन पत्र प्रतिदिन पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे।

3. नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष–2026 (पूर्वार्द्ध) सम्पन्न कराने हेतु सूची परिशिष्ट–एक पर संलग्न है।

4. **ऐसे नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन की सूचना प्रकाशित न की जाए, जिनके निर्वाचन की कार्यवाही किसी न्यायालयीन आदेश के अंतर्गत स्थगित की गई हो अथवा जिनके निर्वाचन न कराए जाने के संबंध में आयोग द्वारा पृथकशः आदेश जारी किया गया हो।**

5. निर्वाचन की सूचना (प्ररुप–2) के साथ–साथ :–
   (i) नियम–22 क के अन्तर्गत प्ररूप–2 क में स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन तथा
   (ii) नियम–16 की अपेक्षा के अनुसार मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जाए।

6. इस निर्वाचन के संचालन की सभी कार्यवाहियॉ मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 तथा आयोग द्वारा समय–समय में जारी निर्देशों के अनुसार संपन्न कराये जायेंगे।

7. आयोग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–70NN–15/2020/पांच/388 दिनांक 26.05.2022 के द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन–2022 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराये जायेंगे।

8. चुनाव में मतदाताओं को **"इनमें से कोई नहीं (नोटा)"** का विकल्प दिया जाये। अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात **"इनमें से कोई नहीं (नोटा)"** अंकित किया जाये और उनके सामने उसका प्रतीक भी दर्शाया जाये।

9. आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2017 में म0प्र0 नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 43(2) में प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग की तरह ई0व्ही0एम0 से निर्वाचन हेतु मतपत्र मुद्रण में अब निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के **फोटो मुद्रण कराये जाने का निर्णय लिया गया** है। अभ्यर्थियों के नाम–निर्देशन पत्र प्राप्त **करते समय अभ्यर्थी से उनके फोटो का साईज 2 cm x 2.5 cm** के फोटोग्राफ प्राप्त किये जावें।

10. नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद के महापौर/अध्यक्ष/पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14–क तथा 14–ख तथा म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32–क तथा 32–ख के अनुसार अपने निर्वाचन व्यय का दिन–प्रतिदिन का ब्यौरा रखना होगा । निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण धारा–14ग एवं धारा–32–ग के अन्तर्गत निरर्हित किया जा सकेगा। ऐसा ब्यौरा आयोग द्वारा निर्धारित रजिस्टर में रखा जाना होगा, जिसकी प्रतियॉ पूर्व में भेजी गई थी । यदि आवश्यकता हो तो आयोग कार्यालय से पुनः प्राप्त की जाएं।

11. **आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप–10) में वर्णक्रम निर्धारण हेतु आयोग का पत्र क्र एफ–57NN–01/2017/पांच/205 दिनांक 01/04/2017 एवं संशोधित पत्र कमांक एफ–57NN–01/2017/पांच/478 दिनांक 02/07/2018. के अनुसार कार्यवाही की जाना है ।**

12. मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–63 निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के संबंध में दिये गये नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13. आयोग के पत्र क्रमांक–एफ–70–36/2015/तीन/न.पा./256 दिनांक 20.04.2016 द्वारा नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन में लिफाफों की संख्या कम करते हुये, फाईल फोल्डर का उपयोग किये जाने संबंधी निर्देश जारी किये हैं। इन फाईल फोल्डर में वर्तमान में 16 अभिलेख (प्ररूप/प्रपत्र) लगाये जाते है। अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका निर्वाचन "पीठासीन अधिकारी की बुकलेट" मार्च–2018 तैयार की गयी है। फाईल फोल्डर में 16 अभिलेख लगाये जाते थे। उसमें से प्ररूप–12 "मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति" प्ररूप–17क "मतदाता रजिस्टर" निविदत्त मतों की सूची एवं निविदत्त मतपत्र, अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का मोहरबंद लिफाफा, अभिलिखित मतों का लेखा (प्ररूप–18क), (प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक) को छोड़कर शेष अभिलेख बुकलेट में समाहित है। अतः आयोग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश पत्र क्रमांक–एफ–70–36/2015/तीन/न.पा./392 दिनांक 23.05.2018 अनुसार आपके पास उपलब्ध पूर्व के फाईल फोल्डरों, में पृ.–2 एवं अंतिम पृष्ठ पर क्रमशः चेकलिस्ट एवं निर्देशों को आयोग के पत्र दिनांक 23.05.2018 अनुसार चस्पा कर फाईल फोल्डरों का उपयोग पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जायें।

14. निर्वाचन की सूचना जारी किये जाने से लेकर निर्वाचन परिणाम की घोषणा किये जाने तक की समस्त प्रक्रियाए, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित ऑन लाईन एप्लीकेशन IEMS (Integrated Election Management System) के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।

15. इस निर्वाचन के संबंध में आयोग को आवश्यक जानकारी पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्ररूपों में यथासमय प्रेषित की जाए। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होने के संबंध में दैनिक प्रतिवेदन भेजा जाए, **निर्विरोध निर्वाचन** के मामले में **प्ररूप—14** में निर्वाचित होने की घोषणा की प्रति तथा मतदान की स्थिति में प्ररूप—23 में (जैसी भी स्थिति हो) विवरणी की प्रति समयावधि में आयोग को अवश्य भेजी जाए ।

16. **निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ संबंधित नगरीय निकायों (संलग्न परिशिष्ट—एक) के संबंधित नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा होने तक प्रभावशील रहेगी । अतः आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।**

17. निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय तौर पर व्यापक प्रचार—प्रसार किया जाये।

18. **निर्वाचन प्रक्रिया के संपादन में निम्नलिखित प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जाए :—**

(1) नगरीय निकायों के आम निर्वाचन हेतु सभी नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषद के महापौर/अध्यक्ष/पार्षद पद हेतु नाम निर्देशन पत्र आयोग द्वारा तैयार नवीन प्ररूप—3 में ही अभ्यर्थियों से प्राप्त किये जावे।

(2) नामनिर्देशन पत्र शनिवार को भी प्राप्त किये जायेंगे।

(3) प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित प्ररूप में एक शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसमें अभ्यर्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि, चल—अचल संपत्ति एवं देनदारियों तथा शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी होगी। साथ ही आयोग के पत्र क्र. एफ—70NN—23/2022/पांच/534 दिनांक 06.06.2022 द्वारा जाति प्रमाण—पत्र के संबंध में जारी निर्देश का पालन सुनिश्चित करें।

(4) आयोग के आदेश कमांक—एफ—70NN—39/2022/पांच/941 दिनांक 20/06/2022 द्वारा नगरीय निकाय के निर्वाचन के दौरान नामनिर्देशन—पत्रों का समेकित विवरण, विधिमान्यतः नामनिर्देशन अभ्यर्थियों की सूची तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने संबंधी निर्देश का पालन सुनिश्चित करें।

(5) **मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण) भाग—4 क्रमांक—22 दिनांक 03 जून 2022 में प्रकाशित नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 में संशोधन तथा आयोग के आदेश कमांक – एफ – 69NN—03/2019/पांच/1014 दिनांक 21/06/2022 द्वारा म0प्र0 नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 की संशोधित अधिसूचना का शुद्ध म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) क्र. 311 दिनांक 13 जून, 2022 का विशेष ध्यान रखा जाये।**

(6) आयोग के आदेश कमांक—एफ—70NN—02/2017/पांच/676 दिनांक 11/06/2017 के अनुसार मतदाता की पहचान स्थापित करने हेतु पीठासीन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आयोग द्वारा निर्दिष्ट अभिलेखों में से कोई एक अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(7) **आयोग की अधिसूचना क्रमांक—एफ—57NN—01/2019/पांच/1478, दिनांक 02.12.2025 द्वारा नगरपालिक निगम के महापौर एवं नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद के पार्षद पद के लिए निर्वाचन प्रतीको के आवंटन की कार्यवाही मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 324 दिनांक 02 दिसम्बर 2025 में प्रकाशित मुक्त निर्वाचन प्रतीकों को विहित किया गया है। अधिसूचित राजपत्र की प्रति संलग्न है।**

(8) आयोग के आदेश कमांक—एफ—70NN—30/2022/पांच/888 दिनांक 17/06/2022 द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 30 एवं 31 की व्याख्या के संबंध में जारी निर्देश का भी विशेष ध्यान रखा जावे। उक्त प्रावधान अनुसार निर्वाचन दलीय आधार पर कराया जाना है।

(9) मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 26(1) में किए गए संशोधन प्रतिभूति निक्षेप राशि का भी विशेष ध्यान रखा जावे।

(10) आयोग के आदेश कमांक–एफ–70NN–32/2022/पांच/646 दिनांक 10/06/2022 द्वारा निर्वाचन में मतदाता पर्ची (वोटर स्लिप) के संबंध में जारी निर्देश का पालन सुनिश्चित करे। मतदान के पूर्व शत् प्रतिशत वोटर स्लिप का वितरण सुनिश्चित किया जाये।

(11) आयोग के आदेश कमांक–एफ–70NN–31/2022/पांच/695 दिनांक 13/06/2022 द्वारा अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के संबंध में जारी निर्देश का पालन सुनिश्चित करे।

(12) नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन ई0व्ही0एम0 से कराया जा रहा है। अतः म0प्र0 नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के अध्याय–7 "क" का ध्यान रखा जाये।

(13) आयोग के आदेश कमांक–एफ–70NN–27/2022/पांच/1062 दिनांक 25/06/2022 द्वारा निर्वाचन के दौरान ओपिनियन पोल/एग्जिट पोट के संबंध में जारी दिशानिर्देश का विशेष ध्यान रखा जाये।

(14) आयोग के आदेश कमांक–एफ–70NN–42/2022/पांच/1092 दिनांक 27/06/2022 एवं आयोग का समसंख्यक पत्र क–1229, दिनांक–04.07.2022 द्वारा निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता के नियुक्ति के संबंध में जारी निर्देश का पालन सुनिश्चित करें।

(15) आयोग के आदेश कमांक–एफ–58NN–01/2022/पांच/1088 दिनांक 27/06/2022 एवं आयोग के आदेश कमांक–एफ–58NN–01/2022/पांच/1364 दिनांक 16/07/2022 द्वारा मतगणना के संबंध में जारी निर्देश का पालन सुनिश्चित करें।

(16) आयोग के आदेश क्रमांक–एफ–69NN–03/2019/पाँच/1221 दिनांक–03.07.2022 द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–54 (निविदत्त मत) के संबंध में जारी निर्देश का पालन सुनिश्चित करें।

(17) आयोग के आदेश क्रमांक–एफ–58NN–01/2022/पांच/1223 दिनांक 03/07/2022 द्वारा निर्वाचन प्रकिया में पशुओं का इस्तेमाल नहीं किये जाने संबंधी जारी निर्देश का विशेष ध्यान रखा जाये।

(18) आयोग के आदेश कमांक–एफ–58NN–01/2022/पांच/1232 दिनांक 04/07/2022 द्वारा मतदान के दिन अभ्यर्थी द्वारा वाहनों का उपयोग संबंधी जारी निर्देश का विशेष ध्यान रखा जाये।

(19) आयोग के आदेश कमांक–एफ–58NN–01/2022/पांच/1231 दिनांक 04/07/2022 एवं आयोग का समसंख्यक पत्र क्र–1246 दिनांक–05.07.2022 द्वारा अभ्यर्थी द्वारा मतदान सहायता बूथ बनाए जाने संबंधी जारी निर्देशों का विशेष ध्यान रखा जाये।

(20) आयोग के आदेश कमांक–एफ–58NN–01/2022/पांच/1359 दिनांक 16/07/2022 द्वारा मतगणना के दौरान मोबाईल के उपयोग पर प्रतिबंध संबंधी जारी निर्देश का विशेष ध्यान रखा जाये।

(21) मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियमों एवं प्ररूप–3, 16, 17 एवं 20 में संशोधन की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक–234 दिनांक–13/08/2024 में किया गया है। आयोग के पत्र क्रमांक–70NN–46/2023/पॉच/1204, भोपाल दिनांक–20/08/2024 का विशेष ध्यान रखा जाये एवं रिटर्निंग आफिसर एवं पीठासीन अधिकारी को अवगत कराया जाये।

19. आयोग के पत्र क्रमांक–एफ–70NN–03/2021/पांच/88 दिनांक 08.02.2021 निर्वाचन के दौरान स्ट्रांग रूम में रखी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए सुरक्षा के उपयोग–सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया जावें ।

20. नगरीय निकायों से संबंधित/आदेश/परिपत्र/निर्देश आयोग की वेबसाइट **www.mplocalelection.gov.in** से भी डाउनलोड़ कर सकते है।

21. इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति आयोग को **ई–मेल** द्वारा तत्काल भेजी जाए ।

Email-mpsec@mp.gov.in एवं **sourban.mpsec@mp.gov.in**

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(दिनेश श्रीवास्तव) 3/09/2021
सचिव
म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

पृ0 कमांक–एफ–53NN–03/2026/पांच/1521 भोपाल, दिनाँक 31/08/2026

प्रतिलिपि :–

(1) मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

(2) अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।

(3) अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

(4) अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

(5) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।

(6) प्रमुख सचिव (कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

(7) पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल।

(8) आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, मध्यप्रदेश शिवाजी नगर भोपाल।

(9) संभागीय आयुक्त, **समस्त** (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।

(10) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम एवं राज्य स्तरीय एजेन्सी भोपाल।

(11) आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्य प्रदेश भोपाल की ओर कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु अग्रेषित ।

(12) आयुक्त–सह–नियंत्रक/उप नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री म0प्र0, भोपाल, की ओर मतपत्रों के मुद्रण की व्यवस्था हेतु अग्रेषित।

(13) संयुक्त संचालक (वित्त), म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

(14) आहरण एवं संवितरण अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

(15) लेखाधिकारी (बजट), मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

की ओर बजट आवंटन की कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(16) म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के समस्त अधिकारियों की ओर सूचनार्थ/योग्य कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(17) व्यय लेखा/स्टोर (स्थापना/निर्वाचन) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(18) आई.टी. शाखा प्रभारी, म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग।

31/08/2026

(डॉ. प्रदीप कुमार शुक्ला)
विधिक सलाहकार
म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

परिशिष्ट–दो

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल–462011
दूरभाष–0755–2555527
ई–मेल : mpsec@mp.gov.in

// आदेश //

क्रमांक–एफ–53NN–03/2026/पांच/1519 भोपाल, दिनांकः 31/08/2026

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14(1) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 20(2)(क), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–36(2)(क) एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा संलग्न **परिशिष्ट–एक** में अंकित **नगरीय निकायों (नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्) के उप निर्वाचन वर्ष–2026 (पूर्वार्द्ध)** हेतु निम्नानुसार समय–अनूसूची (कार्यकम) विहित करता है :–

क्र.	कार्यवाही	सम्बंधित नियम	निर्धारित तारीख	समय
1	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन–पत्र प्राप्त करना।	21, 22	08/09/2026 (मंगलवार)	प्रातः 10:30 बजे से
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के सम्बंध में सूचना का प्रकाशन।	22(क)	08/09/2026 (मंगलवार)	प्रातः 10:30 बजे से
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन।	16	08/09/2026 (मंगलवार)	प्रातः 10:30 बजे से
2	नाम–निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख।	21(क)	15/09/2026 (मंगलवार)	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक
3	नाम–निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच)	21(ख)	16/09/2026 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे से
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख।	21(ग)	18/09/2026 (शुक्रवार)	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन।	30, 31	18/09/2026 (शुक्रवार)	अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद
6	मतदान (यदि आवश्यक हो)	21(घ)	29/09/2026 (मंगलवार)	प्रातः **07:00** बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक
7	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा।	21(ङ)	03/10/2026 (शनिवार)	प्रातः 09:00 बजे से

31/08/2026
(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव
म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

परिशिष्ट – एक

उप निर्वाचन – 2026 (पूर्वार्द्ध) अध्यक्ष पद हेतु

स.क्र.	जिला	नगरीय निकाय का नाम
1	आगर मालवा	नगर परिषद सुसनेर
2	टीकमगढ	नगरपालिका परिषद टीकमगढ
3	धार	नगर परिषद कुक्षी

पार्षद पद हेतु उप निर्वाचन – 2026 (पूर्वार्द्ध) की जानकारी

स.क्र.	जिला	नगरीय निकाय का नाम	वार्ड क्र.
1	इन्दौर	नगरपालिक निगम इन्दौर	58
2	इन्दौर	नगरपालिक निगम इन्दौर	60
3	ग्वालियर	नगरपालिक निगम ग्वालियर	5
4	सागर	नगरपालिक निगम सागर	11
5	कटनी	नगरपालिक निगम कटनी	41
6	खण्डवा	नगरपालिक निगम खण्डवा	34
7	छिंदवाड़ा	नगरपालिक निगम छिंदवाड़ा	47
8	दमोह	नगरपालिका परिषद दमोह	12
9	नर्मदापुरम	नगरपालिका परिषद इटारसी	30
10	बैतूल	नगरपालिका परिषद मुलताई	4
11	दतिया	नगरपालिका परिषद दतिया	1
12	अनूपपुर	नगरपालिका परिषद कोतमा	13
13	सीहोर	नगरपालिका परिषद आष्टा	4
14	विदिशा	नगरपालिका परिषद विदिशा	26
15	भिण्ड	नगर परिषद फूप	8
16	रीवा	नगर परिषद चाकघाट	2
17	देवास	नगर परिषद लोहारदा	10
18	सतना	नगर परिषद कोटर	8
19	सतना	नगर परिषद जैतवारा	10
20	रायसेन	नगर परिषद सिलवानी	3
21	श्योपुर	नगर परिषद बडौदा	14
22	सिवनी	नगर परिषद बरघाट	6
23	खरगोन	नगर परिषद कसरावद	8
24	मंदसौर	नगर परिषद पिपलिया मंडी	15
25	बड़वानी	नगर परिषद निवाली बुजुर्ग	7
26	धार	नगर परिषद कुक्षी	14